न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 53/2021

GCMS No. : 2021/94

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोंडेन्ट्स
1. सुरेश पुत्र सोहनलाल 2. रामचन्द्र पुत्र रामेश्वर पुत्र सोहनलाल जातियान- ब्राह्मण निवासीगण- घोड़ावड़, तहसील-जैतारण जिला- पाली		1. सरपंच ग्राम पंचायत घोड़ावड़ तहसील- जैतारण, जिला पाली राज० 2. गौरतमल पुत्र भंवरलाल 3. उत्तमचंद पुत्र भंवरलाल 4. श्यामलाल पुत्र भंवरलाल 5. सीता पत्नी भंवरलाल जातियान- ब्राह्मण, निवासीगण- घोड़ावड़, तहसील-जैतारण जिला- पाली 6. उच्छबकंवर पत्नी भगवानसिंह जाति- राजपुत 7. संतोषकंवर पत्नी श्यामसिंह जाति- राजपुत, निवासीगण- घोड़ावड़, तहसील-जैतारण जिला- पाली 8. तहसीलदार जैतारण, तहसील- जैतारण, जिला- पाली(राज०) 9. उपपंजीयन अधिकारी, उपपंजीयन कार्यालय जैतारण, जिला- पाली(राज०)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी

तारीख रजूः.15/04/2021

उपस्थितः-

1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, अपीलान्ट्स।
2. श्री सुरेश चौधरी, श्री डांवर राम चौधरी, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट्स।

दिनॉकः 30/06/2022

-:: निर्णय ::-

वकील मय अपीलान्ट ने एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा -151 सीपीसी विरूद्ध रेस्पोडेन्टस् इस आशय की पेश की हैं कि अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा सरहद मौजा घोडावड़ पटवार हल्का घोड़ावड़ में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 446 रकबा 129 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 449 रकबा 89 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 462 रक[illegible] बीघा, खसरा नम्बर 463 रकबा 11-15 बीघा कुल 4 खसरा कुल रकबा 3[illegible] बीघा एवं खसरा नम्बर 556 रकबा 24-17 बीघा, खसरा [illegible] बीघा, खसरा नम्बर 448 रकबा 00-08 बीघा, खसरा नम्ब 461 रकबा 00-15 बीघा, कुल [illegible] रा 03 रकबा 01-17 बीघा के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी संख्या 01 [illegible] ग्राम पंचायत घोड़ावड़ द्वारा म्युटेशन संख्या 02 दिनांक 26.06.1964 को पारित किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

गये नामान्तरण को अपास्त करवाने बाबत् मूल अपील धारा 75 एलआर एक्ट के तहत श्रीमान् के समक्ष लेस व वास्तविक तथ्यों पर आधारित पेश कर दी है। विवादित कृषि भूमि अपीलान्ट की पैतृक पुश्तैनी हक अधिकारों की आराजी होने के कारण अपीलान्ट को अपील में सफल होने की पूर्ण संभवना है तथा अपील के निस्तारण में अभी काफी समय लगेगा तब तक रेस्पोडेन्ट अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुये उक्त कृषि भूमि का रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण ने दिनांक 06.04.2021 को उक्त कृषि भूमि में से बैचान कर दिया है इस प्रकार और भी उक्त सम्पति में से बेचान करनें की तैयार कर रहे है। इस प्रकार की बैचान हस्तान्तरण वसीयत आदि करनें की अपीलान्ट को दिनांक 24.03.2021 को ऐलानिया कथन किया अगर रेस्पोडेन्ट अपने उक्त गैरकानूनी कृत्यों में सफल हो जाते है तो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी एवं अपीलान्ट अपनी पैतृक पुश्तैनी सम्पति से हमेशा हमेशा के लिये महरूम हो जायेगी एवं अपीलान्ट अपने जायज हक हकूकों एवं अधिकारों से वंचित हो जायेगी तथा अपील प्रस्तुत करनें का मकसद ही विफल हो जायेगा। इसलिये अप्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि करनें एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड की स्थिति को रद्धोबदल करनें हेतु जरिये स्थगन आदेश पारित कर मूल अपील के अंतिम निस्तारण तक पाबन्द किया जाना आवश्यक होने से यह स्थगन प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा घोडावड़ पटवार हल्का घोड़ावड़ में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 446 रकबा 129 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 449 रकबा 89 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 462 रकबा 110-17 बीघा, खसरा नम्बर 463 रकबा 11-15 बीघा कुल 4 खसरा कुल रकबा 341-06 बीघा एवं खसरा नम्बर 556 रकबा 24-17 बीघा, खसरा म्बर 447 रकबा 00-11 बीघा, खसरा नम्बर 448 रकबा 00-08 बीघा, खसरा नम्ब 461 रकबा 00-15 बीघा, कुल खसरा 03 रकबा 01-17 बीघा के किसी भू भाग का बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि करनें से व वर्तमान राजस्व रेकर्ड की स्थिति को मूल अपील के अंतिम निस्तारण तक यथावत रखने बाबत् अप्रार्थीगण को जरिये स्थगन आदेश पाबन्द फरमावें एवं प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमावें।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टान् को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 05 सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 04, 06 व 07 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया जो सामिल मिसल है। वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 04, 06 व 07 जवाब प्रार्थनापत्र पेश नहीं करते हैं, जवाब प्रार्थनापत्र बन्द किया जाता है। बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की सुनी गई।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। हमनें उभय पक्षकारान की बहस ध्यानपूर्वक सुनते हुए उस पर मनन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अपील बाबत् ग्राम पंचायत घोड़ावड़ द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 02 दिनांक 26.06.1964 को निरस्त एवं अपास्त घोषित करवाने बाबत् प्रस्तुत कर हस्तगत स्थगन प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 02 दिनांक 26.06.1964 अपीलान्ट के हितों के विरूद्ध स्वीकृत किया गया, वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी होने से अपीलान्ट को अपील में सफल होनें की पूर्ण संभावना है लेकिन इसके निस्तारण में काफी समय लगेगा तब तक रेस्पोडेन्ट अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में अपने नाम की प्रविष्टियों का गलत फायदा उठा कर वादग्रस्त आराजी का बैचान हस्तान्तरण कर सकते है जिससे अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी तथा अपनी पैतृक पुश्तैनी सम्पति से हमेशा हमेशा के लिये महरूम हो जायेगा। अतः अप्रार्थीगण को अपील निस्तान्तरण तक वादग्रस्त आराजी को रहन बेचान हस्तान्तरण आदि नहीं करनें बाबत् पाबन्द किया जावें।

2. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा 1964 में स्वीकृत नामान्तरण चुनौती देते हुये धारा 151 व्यवहार संक्रिया संहिता के अन्तर्गत स्थगन चाहा है। अपील के गुणावगुण के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 151 जो कि न्यायालय को अन्तर्निहित शक्तियां प्रदान करती है, ऐसी शक्तियों का प्रयोग केवल ऐसी अत्यावश्यक आपतिक परिस्थितियों में ही प्राकृतिक न्याय सिद्धांत, की अनुपालना हेतु कर सकता है। प्रार्थी द्वारा ऐसी किन्ही आपातिक परिस्थितियों को साबित नहीं किया है। जबकि प्रश्नगत नामान्तरण वर्ष 1964 में स्वीकृत हो चुका था जिसके आधार पर अप्रार्थीगण का नाम भू अभिलेख में चल रहा है। अतः इन्हें किसी भी दृष्टि से आपातिक एवं अत्यावश्यक परिस्थिति नहीं मानी जा सकती है। अतः हस्तगत प्रार्थनापत्र भली भांति साबित नहीं होता है, अतः इसे खारिज/अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/अपीलांट अंतर्गत धारा-151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता सारहीन होने एवं बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर, संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण,
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 30/06/2022 को पक्षकारान को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण,
(जिला-पाली)
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली